





This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

PROJECT:-  
PROPOSED GROUP HOUSING-1 AT KHASRA NO 400,401,402,404, 405-408(P), 409-410, 411-412(P),480 (P) ,497 & 446(G.S), IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD , LUCKNOW (U.P.)

- NOTES
- प्रतिबन्ध
1. नू-स्वास्थ्य तथा भूमि वायु-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वास्थ्य व कब्जा विकासकर्ता अपनी के नाम है। मूकम्ब के लिये खरप नम्बर का स्वास्थ्य प्राम सना की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता एवं कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्देहन/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
  2. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कोपिंग प्लान के अनुसार कार्यालय अनिवार्य होगा।
  3. स्ट्रक्चर ड्राइंग व डिजाइन प्रमाण पत्र इन्वॉल्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एक्ट रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रीजिल इन्जीनियरिंग विभाग के अधीनकार काल १९६० के तहत प्राप्त की गई है। IET/CE/AAKS-3030-494 Date- 11-12-2028 के तहत नो नोट करवाए रखते किये गये है, जिसका अनुमति कला होगा।
  4. लैण्ड स्कोपिंग प्लान व सर्वेसिंग प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
  5. नूजा अधिनियम अधिनियम तब तक के द्वारा निर्णय अपनाने प्रमाण पत्र तो UFFS/2020/23781A/CK/LUCKNOW/1904/0D दिनांक 23.10.2020 की शर्त का अनुमति कला होगा।
  6. पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  7. सेक्टर सर्वेसिंग एवं सेक्टर लॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
  8. लेबर एक्ट का अनुपालन करना होगा एवं लेबर सेस शुल्क का नियमानुसार भुगतान करते हुए प्राधिकरण को सुचित करना होगा।
  9. स्थल पर शारीरिक रूप से विकास कार्य/व्यवस्था हेतु दाय का निर्माण एवं आधारित सुविधाओं का विकास करना होगा।
  10. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापत्र लगाना होगा।
  11. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉने जाने पर अडिलम जमा करना होगा।
  12. रेश एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट/रूल्स का पालन करना होगा।
  13. स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र के क्रम में यदि विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा सम्पत्तियों का कम-विक्रय किया गया है तो उगके समायोजन का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। रेश एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा। इत हेतु शपथ पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
  14. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई लब्ध शुद्ध कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
  15. कय गोप्य एफएलआर की अवरोध धरताहि को किरतों में देय सम्बाज जमा करना होगा।
  16. स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र की शर्त प्रथमतः मानचित्र पर क्यातत प्रदायी होगी।



रजिस्ट्रार का कार्यालय लखनऊ में है। इस कार्यालय में आवेदन करने पर आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा।



DRAWING TITLE SUBMISSION DRAWING  
(BLOCK - D) G+23 SECTION AND ELEVATION)

ARCHITECT

SCALE AS SHOWN DATE 08/09/2019

यह मानचित्र लखनऊ महानगरपालिका २०३१ तथा भवन उपविधि २००८ तथा संशोधित २०१६, समयक शासनादेशों के अनुसार तैयार किया गया है।

CLIENT/ OWNERS

**OMAXE**  
Turning dreams into reality





OMAXE LTD  
CYBER TOWER, 11ND FLOOR, TC-34/V2  
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR  
LUCKNOW-226001  
CALL-(0522)-4513300,4000173

APURBA BORAH  
Reg. Architect  
CA/2013/618

ARCHITECT'S SIGNATURES OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER- INT.A.KO.GH-1R-SUB-9

45.0m. wide proposed master plan road



This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

**PROJECT:-**  
**PROPOSED GROUP HOUSING-1 AT KHASRA NO 400,401,402,403,404, 405,406,408(P), 409-410, 411-412(P),480 (P), 497 & 446(G.S), IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)**

- प्रतिबन्ध**
- भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। मुख्यतः के जिन क्षेत्रों नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पास में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्वहन/अधिग्रहण/भूमि का विवादही विकासकर्ता के पास में न हो जाये।
  - सर्वमान शासनदोष के क्रम में लैण्ड स्कोपिंग प्लान के अनुसार वृद्धारोपण अनिवार्य होगा।
  - सूचनात्मक ड्राइंग व डिजाइनिंग प्रमाण पत्र इन्फोर्मेड अथ इन्वीनियरी एण्ड टेक्नालॉजी, इन्फोर्मेड अथ इन्वीनियरी प्रमाण पत्र के प्रोविजन के अन्तर्गत 2000 मुद्रा का प्रमाण पत्र सं. I.E.T./CA/S-2020-094 Date- 11-12-2020 के अन्तर्गत से प्राप्त किया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
  - लैण्ड स्कोपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुसार स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
  - मुख्य अधिनियम अधिनियम तब तक के द्वारा निर्दिष्ट अन्तर्गत प्रमाण पत्र सं. UP/S/2020/2370/LCK/LCKNOW/1594/DD दिनांक 23.10.2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
  - पूर्वता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  - सेवादार सर्विसेज एवं सोलर यॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिवासन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
  - सेक्टर एक्ट का अनुपालन करना होगा एवं सेक्टर सेक्टर शुल्क का नियमानुसार भुगतान करवा हुए प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
  - स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधा रहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
  - स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापद लगाना होगा।
  - यदि कोई देनदारि निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉने जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
  - सेवा एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट/कल्ल का पालन करना होगा।
  - स्थल के पूर्ण स्वीकृत मानचित्र के क्रम में यदि विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय किया गया है तो उनके समायोजन का एकरादाविले आवेदन का खर्च का होगा। सेवा एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा। इस हेतु राज्य पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
  - यदि भविष्य में देसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य भुक्त कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है कथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
  - किसी भी एफएओआर की अवधि धरनासि को किसी भी देय सम्बाध जमा करना होगा।
  - स्थल के पूर्ण स्वीकृत मानचित्र की शर्तें प्रसंगत मानचित्र पर यथावत प्रामाणी होगी।

का कांति एडर प्रेर नर केनर की विकास अधिनियम 1973 से एक्ट 15 के अन्तर्गत से प्राप्त किया गया है कि विकास प्रमाण पत्र निकाला जाये कि विकास कार्य है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण  
 लखनऊ  
 दिनांक 08-08-2019  
 स्वीकृत से दिनांक 07-08-2019  
 अधिसूचना अधिनियम  
 विकास क्षेत्र, लखनऊ

**DRAWING TITLE**  
 REVISED SUBMISSION DRAWING (LANDSCAPE PLAN)

**ARCHITECT**

**SCALE** AS SHOWN **DATE** 08/08/2019

CALCULATION FOR GREEN			
GREEN	NOS.	AREA (SQ. M)	TOTAL AREA (SQ. M)
GREEN-1	1	2415.00	2415.00
GREEN-2	1	2420.00	2420.00
GREEN-3	1	1750.00	1750.00
<b>TOTAL</b>			<b>6585.00</b>



यह मानचित्र लखनऊ महायोजना २०३१ तथा भवन उपपतिधि २००८ तथा संसोधित २०१६ संयुक्त शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है

**CLIENT/ OWNERS**  
**OMAXE**  
 Turning dreams into reality  
 OMAXE LTD  
 CYBER TOWER, IIND FLOOR, TC-34/7  
 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR  
 LUCKNOW-226001  
 CALL-(0522)-4913000,4000173


**APURBA BORAH**  
 Reg. Architect  
 CA/2013/1618

**ARCHITECT'S SIGNATURES** **OWNER'S SIGNATURES**

**DRAWING NUMBER-** INT.LKO/GH-1/R-SUB-4




KEY PLAN (NOT TO SCALE)



DETAIL OF R.C.C. COLUMN, 230 TH FOUNDATION, 115 TH BOUNDARY WALL

LEGENDS:-

S.NO.	SYMBOL	DESCRIPTION
1.	(Symbol)	SEWER MANHOLE
2.	(Symbol)	STORM MANHOLE
3.	(Symbol)	SEWER LINE
4.	(Symbol)	STORM LINE
5.	(Symbol)	FLUSHING WATER LINE
6.	(Symbol)	DOMESTIC WATER LINE
7.	(Symbol)	IRRIGATION WATER LINE
8.	(Symbol)	MUNICIPAL WATER LINE
9.	(Symbol)	BOREWELL WATER LINE
10.	(Symbol)	TREATED WATER PIPE FROM STP
11.	(Symbol)	GARDEN HYDRANT
12.	(Symbol)	TUBEWELL WITH BVF AND NRV
13.	(Symbol)	RAIN WATER HARVESTING PIT



PLAN OF RECHARGE PIT

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT:-  
 PROPOSED GROUP HOUSING-1 AT KHASRA NO 400,401,402,403,404, 405,406,408(P), 409-410, 411-412(P),480 (P), 497 & 446(G.S), IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)

- प्रतिबन्ध
1. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता की कंपनी के नाम है। दृष्टांत के तिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पास नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्वसन/अधिग्रहण/भूमि क़ाय की कार्यवाही विकासकर्ता के पास में न हो जाये।
  2. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लेन्ड स्कोपिंग प्लान के अनुसार क़ारारोपण अधिवादाय होगा।
  3. पट्टाखत ज़रूरी व विकास, प्रमाण पर इन्फ़रिस्ट्रक्चर इन्फ़ीनिटिव एक टेन्गलकी, डिस्टिन्ट आन इन्डिपेन्डिन्ट फ़िन्ग में डेवेलप कर क़रुवो पुरत इतत पर पंच IET/CE/AKS-2020-494 Date- 11-12-2020 के तन्कम से डेट क़ररर इततु क़िन्ग पर 8, क़िन्क अनुसन्तन क़रर तन्क।
  4. लेन्ड स्कोपिंग प्लान व सविसेज प्लान के अन्कुर रररर पर भी विकास क़रर पूर क़रने हन्ग।
  5. तन्क अन्तन्तन अधिक्करी सन्कड के इतत निर्तत अधिक्करी प्रक़ण पर 410 I.P.S/2020/23791/CL/LUCKNOW/154/BD दिन्क 23/10/2020 की क़रर का अनुसन्तन क़रर तन्क।
  6. पूरतत प्रन्गण पत्र प्रतत क़रर तन्क।
  7. रन्कवट ड़ररररर एन् सलर वलर सन्कड का ररर पर अधिक्कतन्तन शासनादेश के अनुसूतत पूर क़रर तन्क।
  8. लेवर एन्क का अनुसूततन क़रर तन्क एन् लेवर सलर शुकक का निन्गनुसूतत भूतन्तन क़रर इन्क प्राक्किकरन्क क़रर सुक्कित क़रर तन्क।
  9. ररर पर श़ररीक़ रूड से विकलन्ग व्यररr
  10. ररर पर नानक्कित स्क्कित सन्कवी सुन्गणपट्ट सन्गण तन्क।
  11. यद क़रर डेनदररी नक्कलरी है तू प्राक्किकरन्क इतत भूने क़रर पर अधिलभ जन्क क़रर तन्क।
  12. ररर एन्क, अन्कटन्कट एन्क/क़रर क़रर प़ररर क़रर तन्क।
  13. रररr

कार्यालय विकास प्राधिकरण  
 पन्कड संड- 42975-  
 दिन्क- 08-08-2019-  
 स्क्कित संड- 07-08-2024-  
 अधिक्करी अन्तन्तन  
 विकास क़ेत्र, लुकनू

DRAWING TITLE  
 REVISED SUBMISSION DRAWING (SERVICES LAYOUT)

ARCHITECT

SCALE AS SHOWN

DATE

यह मानक्कित सन्कडक़ मन्क़र्यन्क २०३३ तन्क भवन त्पदधि २००८ तन्क संसूतत २०१६ सन्कडक़ शासनादेशी के अन्कुर त्पार क़रर तन्क।

CLIENT/OWNERS

**OMAXE**  
 Turning dreams into reality

OMAXE LTD  
 CYBER TOWER IIND FLOOR, TC-34/V2  
 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR  
 LUCKNOW-226001  
 CALL-(0522)-4913000,4000173

APURBA BORAH  
 Reg. Architect  
 CA/2013/61818

ARCHITECT'S SIGNATURES







OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER- INT.LKO/GH-1R-SUB-5

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

PROJECT:-  
PROPOSED GROUP HOUSING-1 AT KHASRA NO 400,401,402,404, 405-408(P), 409-410, 411-412(P),480 (P), 497 & 446(G.S), IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW (U.P.)

NOTES



SCHEDULES OF OPENING

NO	SIZE	SPECIFICATION
<b>DOOR</b>		
S01	2150 X 2100	GRAND HALL / MASTER BED
S02	2300 X 2100	GRAND HALL / FAMILY
S03	1400 X 2100	BED ROOM
D	1650 X 2100	MAIN DOOR (FOYER)
G1	900 X 2100	BED ROOM
G2	750 X 2100	TOILET / STORE
G3	600 X 2100	MANY TOILET
D4	1500 X 2100	GROUND FLOOR
D5	1500 X 2100	SALOON
FD1	1500 X 2100	STAIRCASE DOOR
LD	1000 X 2100	LIFT DOOR
G21	800 X 2100	SERVICE LIFT DOOR
<b>WINDOW</b>		
W1	2800 X 1300	LOBBY S
W2	2000 X 1500	HOME C
W3	1500 X 1500	STAIR C
W4	2000 X 1500	STAIR C
V	750 X 900	TOILET
V1	400 X 900	MAID TC

STRUCTURAL AREA CALCULATION

NO	DESCRIPTION	AREA (SQ. M)	UNIT
1	GROUND FLOOR	10000	SQ. M
2	1ST FLOOR	10000	SQ. M
3	2ND TO 17TH & 19TH TO 21ST FLOOR	10000	SQ. M
4	18TH FLOOR	10000	SQ. M
5	22ND FLOOR	10000	SQ. M
6	23RD FLOOR	10000	SQ. M
7	TERRACE FLOOR	10000	SQ. M
8	TOTAL	70000	SQ. M

**प्रतिबन्ध**

- भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उचित भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व अन्ततः विकासकर्ता/कम्पनी के नाम है। भूस्वामि के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व भूमि स्वामी की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पास नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्वाहन/अधिग्रहण/भूमि क़दम की कार्यवाही विकासकर्ता के पास नहीं हो पाये।
- सर्वमान शासन/देश के क़ान में लैन्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार क़ारोपण अनिवार्य होगा।
- भूस्वामि क़ानून व विनियम, प्रमाण पत्र, इन्फ़ॉर्मेटिव प्लान, डेवलपमेंट ऑथोरिटी, डिप्लोमेटिक अन्ड लिमिटेड इन्जीनियरिंग विभाग के प्रोवेंसर अन्ड एग्जिक्यूटिव द्वारा पत्र सं. LET/C/KA/S-2820-494 Date- 11-12-2020 के तहत से भेट करके प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
- लैन्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुसार स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
- पूरा अन्वेषण अधिनियम लखनऊ के हारा निर्गत अनपति प्रमाण पत्र सं. UP/PS/2820/2378/LCK/LUCKNOW/1594/DD दिनांक 23.10.2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- रेनवाटर हावीटिंग एवं चोलर बॉटल सिस्टम का स्वतः पर अधिष्ठापन शासन/देश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
- सेवर एन्ड वाटर प्रवाह का अनुपालन करना होगा एवं सेवर सेस शुल्क का नियमानुसार गुप्तान करते हुए प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
- स्वतः पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तिवों हेतु पैम का निर्माण एवं बाधाहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
- स्वतः पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापत्र लगाना होगा।
- यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मौने जाने पर अतिव्यय जमा करना होगा।
- रेस एन्ड, अपार्टमेंट एन्ड/कलस का पालन करना होगा।
- स्वतः के पूर्व स्वीकृत मानचित्र के क़ान में यदि विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा सम्पत्तियां का क़ान-क़ानून विवाद उत्पन्न होता है तो उनके समायोजन का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वतः का होगा। रेस एन्ड के प्राधिकरणों का पालन करना होगा। इस हेतु शायद पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई छद्म धुप कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- क़ान वीथी एन्ड/अन्वेषण की अवशेष धाराओं को क़िरालों में देय सम्बन्ध जमा करना होगा।
- स्वतः के पूर्व स्वीकृत मानचित्र की शर्तों परमान मानचित्र पर ब्यवस्थ प्रभावी होगी।



DRAWING TITLE: SUBMISSION DRAWING (BLOCK - C) G+23 ALL FLOOR PLANS, SECTION, ELEVATION AND AREA DIAGRAM

ARCHITECT: [Signature]

SCALE: AS SHOWN DATE: 08/08/2019

CLIENT/ OWNERS: OMAXE  
OMAXE LTD  
CYBER TOWER/JIND FLOOR, TC-34V2  
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR  
LUCKNOW-226001  
CALL: (0522)-4913000, 4001173

APURBA BORAH  
Reg. Architect  
CA/2013/1616

ARCHITECTS SIGNATURES: [Signature] OWNER'S SIGNATURES: [Signature]

DRAWING NUMBER: INT.LKO/GH-1R-SUB-6



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN




(2nd,9th,11th,18th,20th floor plan)




TYPICAL FLOOR PLAN(3rd to 8th,10th,12th to 17th,19th & 21st floor)



SERVICE FLOOR PLAN 22ND FLOOR.



CLUB FLOOR PLAN 23rd FLOOR.



TERRACE FLOOR PLAN

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

PROJECT:-  
PROPOSED GROUP HOUSING-1 AT KHASRA NO 400,401,402,404, 405-406(P), 409-410, 411-412(P),480 (P), 497 & 446(G.S), IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD ,LUCKNOW (U.P.)

- प्रतिबन्ध**
- भू-स्वामित्व तथा भूमि याच-खिाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई शिमेचारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता को होगा। भूस्वाम्य के दिनांक वसन्त नम्बर का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्निर्माण/अधिग्रहण/भूमि हस्त की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
  - पुनर्माण शासनादेश के क्रम में लेख्य स्कीम प्लान के अनुरार प्शासरोपण अतिवार्य होगा।
  - सुप्रीम कोर्ट के आदेश व विधान, अधिनियम, इन्फोर्मेटिव एक्ट, एनवायर्स, डिप्लोमेटिक एक्ट, रिजल्ट इन्फोर्मेशन विचार के प्रोकेस, आउट एक्ट) सुप्रीम कोर्ट के आदेश IET/CE/AAKS-2020-494 Date- 11-12-2020 के मध्य से बेट कालक प्रस्तुत किया गया है, विकास अनुपालन करना होगा।
  - लेख्य स्कीम प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरार स्वतः पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
  - सुप्रीम कोर्ट के आदेश व विधान, अधिनियम, इन्फोर्मेटिव एक्ट, एनवायर्स, डिप्लोमेटिक एक्ट, रिजल्ट इन्फोर्मेशन विचार के प्रोकेस, आउट एक्ट) सुप्रीम कोर्ट के आदेश IET/CE/AAKS-2020-494 Date- 11-12-2020 के मध्य से बेट कालक प्रस्तुत किया गया है, विकास अनुपालन करना होगा।
  - पुनर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  - रेनवाटर हास्टेडिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
  - जेनर एक्ट का अनुपालन करना होगा एवं लेबर सेस शुल्क का नियमानुसार भुगतान करते हुए प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
  - स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधा रहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
  - स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापत्र लगाना होगा।
  - यदि कोई देनवारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा भोगे जाने पर अधिलेख जमा करना होगा।
  - रेन एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट/कलस का पालन करना होगा।
  - स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र के क्रम में यदि विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय किया गया है तो उसके समायोजन का उत्तरदायित्व आनेदक का स्वयं का होगा। रेन एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा। इस हेतु राक्षस पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
  - यदि भविष्य में एसी कोई बात प्रकट हो जाती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई अन्य घुषा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
  - क्रम योग्य एकाएक/आवृत्त की अवरोध घनत्वों को धिस्तो में देय समायोज जमा कराया होगा।
  - स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र की शर्तें प्रत्येक मानचित्र पर यथावत प्रभावी होंगी।

कम भुगतान कर लेने पर पंजीयन और शिमेचारी अतिवार्य होगा जो पत्र 13 के अनुसार इस प्रतिबन्ध सहित सौंप दिया गया है कि विकास अधिनियम भूमि विकास अधिनियम के तहत किया गया है।




DRAWING TITLE	SUBMISSION DRAWING BLOCK - D1 G+23 ALL FLOOR PLANS
ARCHITECT	
SCALE	DATE
AS SHOWN	2024
यह मानचित्र सख्तमः महायोजना २०२१, तथा भूकन उपविधि २०२१, तथा संशोधित २०१६, सामक शासनादेश के अनुकूल तैयार किया गया है।	
CLIENT/ OWNERS	<b>OMAXE</b> Turning dreams into reality OMAXE LTD CYBER TOWER IIND FLOOR, TC-34/V2 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR LUCKNOW-226001 CALL-(0522)-4913000,4000173
ARCHITECT'S SIGNATURES	OWNER'S SIGNATURES
DRAWING NUMBER-	INT./A.KO/IGH-1R-SUB-7

APURBA BORAH  
Reg. Architect  
CA/2018/1618







**BASEMENT PLAN-2**

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH 

**PROJECT:-**  
**PROPOSED GROUP HOUSING-1 AT KHASRA NO 400,401,402,403,404, 405,406,408(P), 409-410, 411-412(P),480 (P), 497 & 446(G.S), IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD , LUCKNOW (U.P.)**

**प्रतिबन्ध**

1. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई शिमेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता कोवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो पाये।
2. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
3. एडवोकेट आदेश व डिजाइन, प्रमाण पत्र, अन्वैटीट्यूट आर इन्वींटीगरींग एन्ड टेकनॉलजी, डिपार्टमेंट अथवा निम्नलिखित इन्वींटीगरींग फ़िरमा के ओपेनर का एप्रीओर सुला प्राप्त कर रजिस्ट्रार/आर-2920-294, Date- 11-12-2020 के मानने से बंद करके प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
4. लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुसार स्वतः पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
5. मुख्य अनिश्चयन अधिकारी उल्हास के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रजि. UFFS/2020/23701/LCK/LUCKNOW/1504/DD दिनांक 20.10.2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. सेनाक्टर लॉकेटिंग एवं सोलर वॉल्टेज सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8. सेक्टर एन्ड का अनुपालन करना होगा एवं सेक्टर सेक्टर का नियमानुसार बुजान करके हुए प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
9. स्वतः पर शारीरिक कर से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाजारहीन बुजियाओं का विकास करना होगा।
10. स्वतः पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचनाएं लगाना होगा।
11. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा नंगे जाने पर अधिष्ठापन जमा करना होगा।
12. सेक्टर एन्ड, अनापत्ति एन्ड/स्वतः का पालन करना होगा।
13. स्वतः के पूर्व स्वीकृत मानचित्र के काम में यदि विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा समझौते का कार्य-विषय किया गया है तो उनके समझौते का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। सेक्टर एन्ड के प्राधिकरण का पालन करना होगा। इस हेतु स्वयं पर मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
14. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रमाण में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
15. कृय योग्य एफएओआरओ की अवशेष धनराशि को किस्तों में देय सम्बाज जमा कराना होगा।
16. स्वतः के पूर्व स्वीकृत मानचित्र की शर्तों प्रमाणित मानचित्र पर सहायक प्रमाणी होगी।



**DRAWING TITLE**  
**REVISED SUBMISSION DRAWING (BASEMENT PLAN-2)**

**ARCHITECT**

**SCALE** AS SHOWN      **DATE** 08-08-2019

---

**CLIENT/ OWNERS**  
  
**OMAXE LTD**  
 CYBER TOWER, JIND FLOOR, TC-34/V2  
 VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR  
 LUCKNOW-226001  
 CALL-(0522)-4913000,4000173

**ARCHITECT'S SIGNATURES**  **OWNER'S SIGNATURES** 

**DRAWING NUMBER-** INT./LKO/GH-1R-SUB-3